

17.02.2021

पत्रावली पैश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र, वादी अभिभाषक के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर

हो।

उपखण्ड अधिकारी
फ़्लिंगकला (भीलवाड़ा) राज

NOT PRESS
सुनील कुमार शर्मा
अधिकारी वादी

